

## मानव तस्करी के पीड़ितों के लिये पुनर्वास योजना

## प्रलिमि्स के लिये:

<u>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनयिम, 1956 (ITPA), बाल विवाह निषेध अधिनयिम, 2006, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनयिम,</u> 2012

### मेन्स के लिये:

भारत में मानव तस्करी की स्थति, मानव तस्करी के प्रमुख कारण और प्रभाव

## चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना को मंज़ूरी दी है जिसका उद्देश्य<mark>राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों में <u>मानव तस्करी</u> के पीड़ितों के लिये संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।</mark>

# योजना के प्रमुख प्रावधानः

- संरक्षण और पुनर्वास गृह के लिये वित्तीय सहायता: यह योजना वित्तीय सहायता के साथ ही पुनर्वास गृह, आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा अन्य आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं जैसी पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों और युवा महिलाओं की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करेगी।
- मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) को सुदृढ़ करना: संरक्षण और पुनर्वास गृहों की स्थापना के अतिरिक्त सरकार ने सभीराज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक ज़िले में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सुदृढ़ करने हेतु निर्भया फंड से धन आवंटित किया है।
  - BSF (सीमा सुरक्षा बल) और SSB (सशस्त्र सीमा बल) जैसे सीमा सुरक्षा बलों में कार्यात्मक AHTU सहित सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को यह फंड प्रदान किया गया है।
  - ॰ वरतमान में देश भर में **सीमा सुरक्षा बल में 30 सहति कुल 788 कार्यातमक मानव तस्करी वरिोधी इकाइयाँ** शामिल हैं

## भारत में मानव तस्करी की स्थति:

- = परचिय:
  - ॰ मानव तस्करी एक वैश्<mark>विक मुद्दा है</mark> जो कई देशों को प्रभावति करता है और **भारत कोई अपवाद नहीं है।**
  - ॰ बड़ी आबादी, आर्<mark>थिक अ</mark>समानता और जटलि सामाजिक परिस्थितियों के कारण भारत विभिन्नि प्रकार की मानव तस्करी का केंद्र बन गया है।
- आँकड़े:
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में मानव तस्करी के 2,189 मामले दर्ज किये गए, इनमें पीड़ितों की संख्या 6,533 थी।
    - पीड़ितों में 4,062 महिलाएँ और 2,471 पुरुष थे। इनमें नाबालिगों की संख्या 2,877 थी।
    - जबकि वर्ष 2021 में लड़कियों (1,307) की तुलना में अधिक कम उम्र के लड़कों (1,570) की तस्करी की गई , लेकिन इस पैटर्न में आगे बदलाव आया और पाया गया कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बढ़ रही है ।
  - AHTU दवारा दर्शाए गए आँकड़ों के अनुसार, कुछ राज्यों में मानव तस्करी के अधिक मामले दर्ज किये गए हैं:
    - वर्ष 2021 में तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम में संबंधति AHTU में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए।
    - अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य कारकों के कारण ये राज्य सीमा पार तस्करी के प्रति विशिष रूप से संवेदनशील हैं, इन पर विशेष धयान देने तथा इनहें परयापत संसाधन उपलब्ध कराने की आवशयकता है।
    - भारत के पड़ोसी देश अक्सर उन तस्करों के लिये स्रोत के रूप में काम करते हैं जो रोज़गार अथवा बेहतर जीवन स्तर का

#### झुठा वादा करके महलाओं और लड़कियों का शोषण करते हैं।

#### मानव तस्करी के विभिन्न रूप:

- ॰ जबरन श्रम: इसमें पीड़ितों को कृषि, निर्माण कार्य, घरेलू काम और विनिर्माण जैसे उद्योगों सहित शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिये मजबूर किया जाता है।
- ॰ **यौन शोषण:** इसमें वेश्यावृत्त और अश्लील साहित्य सहित व्यावसायिक यौन शोषण के लिये व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तसकरी की जाती है।
- ॰ **बाल तस्करी:** इसमें बाल श्रम, जबरन भीख मंगवाना, बाल विवाह, गोद लेने में घोटाले और यौन शोषण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये बच्चों की तस्करी शामिल है।
- ॰ बंधुआ मज़दूरी: इसमें ऋण चक्र में फँसे लोगों को ऋण चुकाने के लिये काम करने के लिये मजबूर किया जाता है और यह शोषणकारी प्रथाओं के कारण बढ़ता रहता है।
- ॰ **मानव अंग तस्करी**: अंगों की तस्करी में पुरत्यारोपण के लिये किडनी, लीवर और कॉर्निया जैसे अंगों का अवैध व्यापार शामिल है।

#### भारत में प्रासंगिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- ॰ भारतीय संवधान के अनुच्छेद 23 और 24:
  - अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगारी (बिना भुगतान के जबरन श्रम) पर रोक लगाता है।
  - अनुच्छेद 24,14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक रोज़गार में नियोजित करने से रोकता है।
- भारतीय दंड संहता (IPC) धारा:
  - IPC की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिये व्यापक उपाय प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार के यौन शोषण, दासता या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण के लिये बच्चों की तस्करी शामिल है।
  - धारा 372 और 373 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों की खरीद-फरोख़्त से संबंधित हैं।

#### ॰ अन्य कानून:

- <mark>अनैतकि व्यापार (नवारण) अधनियम, 1956 [Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956]</mark> \_देह व्यापार के लिये तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है।
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं-बाल विवाह प्रतिषध अधिनियम, 2006; बंधुआ
  श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; बाल श्रम (निषध और विनियमन) अधिनियम, 1986; मानव अंग प्रत्यारोपण
  अधिनियम, 1994।
- <u>यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियिम, 2012</u> बच्<mark>चों को यौन दुर्</mark>व्यवहार और शोषण से बचाने के लिये एक विशेष कानून है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनं:
  - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCTOC) महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, शोषणकारियों और अपराधियों को दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)।
  - वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने तथा मुकाबला करने पर SSARC अभिसमय (भारत इसका हसताक्षरकरता है)।

## मानव तसकरी के प्रमुख कारण और प्रभाव:

#### • कारण:

- **सामाजिक आर्थिक कारक: <u>गरीबी</u>, बेरोज़गारी और आर्थिक अवसरों की कमी** असुरक्षा पैदा करती है, जो व्यक्तियों को निराशाजनक सथितियों में धकल देती है जिसके कारण उनकी तस्करी होने की अधिक संभावना होती है।
- लैंगिक असमानता और भेदभाव: महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिसा, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव के कारण तस्करी के लिये उनकी भेदयता बढ़ जाती है।
  - इसमें दहेज से संबंधित हिसा, बाल <mark>वविाह औ</mark>र शिक्षा तक पहुँच की कमी जैसे मुददे शामिल हैं।
- ॰ **राजनीतिक अस्थरिता और संघर्षः <mark>राजनीतिक अस्थरिता</mark>, सैन्य संघर्ष</mark> और बड़े पैमाने पर प्रवासन आदि सभी ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मानव तसकरी के लिये अनुकुल होता है क्योंक ऐसी घटनाओं के पीड़ितों की सथिति असहाय और असुरक्षित हो जाती है।**
- भ्रष्टाचार और संगठित अपराधः कानून प्रवर्तन, आव्रजन और न्यायिक प्रणालियों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण तस्कर बिना किसी डर के कार्य करते हैं, जिससे मामलों का पता लगाना, जाँच करना और प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है।

#### प्रभाव:

- ॰ **शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात:** तस्करी पीड़ित लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, हिसा और आघात सहन करते हैं ।
  - वे अक्सर चोटों, यौन संचारति संक्रमणों, कुपोषण और शारीरिक थकावट का सामना करते हैं।
  - इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव में दुश्चिता, अवसाद, <u>उत्तर-अभिधातजन्य तनाव विकार (Post Traumatic Stress Disorder- PTSD)</u> और दूसरों पर विश्वास की हानि शामिल है।
- ॰ मानवाधिकारों का उल्लंघन: मानव तस्करी मूलतः पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। यह उन्हें उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा से वंचित करता है।
- ॰ **आर्थिक शोषण:** जिन लोगों की तस्करी की जाती है उन्हें कठिन श्रम परिस्थितियों में लंबे घंटों तक कार्य करवाया जाता है और बहुत कम या बलिकुल भी वेतन नहीं दिया जाता है।
  - पीड़ितों के लिये शोषण से बचना बेहद मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे कर्ज के जाल में फँस जाते हैं, जहाँ उन्हें लगातार बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिये कार्य करना पड़ता है।
- ॰ **सामाजिक ताने-बाने का विघटन**: मानव तस्करी समुदायों और परविारों के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करती है।

• यह परिवारों को तोड़ देती है क्योंकि व्यक्तियों को अपने प्रियजनों से जबरन अलग कर दिया जाता है। इस उथल-पुथल केंकारण समुदायों के अंतर्गत रिश्ते तनावपूरण हो जाते हैं और सामाजिक समर्थन का अभाव देखा जाता है।

### आगे की राह

- विधि और कानून प्रवर्तन को मज़बूत करना : तस्करी विरोधी मज़बूत कानून बनाने और लागू करने की आवश्यकता है जो मानव तस्करी के सभी रूपों को अपराध घोषित करे तथा अपराधियों के लिये पर्याप्त दंड का प्रावधान करे ।
  - साथ ही तस्करी के मामलों की पहचान करने तथा **प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों,** नयायपालिका और सीमा नियंतरण अधिकारियों के लिये परशिकषण कारयकरमों को बढ़ाने की आवशयकता है।
- तकनीकी समाधान: बड़े डेटा सेट का विश्लिषण, तस्करी के रुझानों की पहचान और संभावित हॉटस्पॉट की भविष्यवाणी करने के लियेउन्नत डेटा एनालिटिक्सि टूल के साथ कुत्रिम बुद्धिमित्ता एल्गोरिदम विकसित करने की आवश्यकता है।
  - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग आपूर्ति शृंखलाओं में पारदर्शति। बढ़ाने के साथ कृषि और परिधान विनिर्माण जैसे तस्करी के खतरे वाले उदयोगों में बलपुरवक शरम के उपयोग को रोकने के लिये भी किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत, मानव तस्करी से निपटने में नवीन दृष्टिकोण, सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ज्ञान विनिमय प्लेटफॉर्मों की सुविधा प्रदान कर सकता है।
  - नवोन्मेषी समाधानों को संयुक्त रूप से विकसित करने और लागू करने के लिये देशों,गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों के साथ निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।

The Vision

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतविधियों जैसे- अवैध हथियार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या प्रति-उपाय किये जाने चाहिये? (2018)

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rehabilitation-scheme-for-victims-of-trafficking